फा. संख्या- ई-22012-1/हिन्दी पखवाड़ा/रा.भा./2020

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

राजभाषा अनुभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

दिनांक- 03 सितंबर, 2020

**सेवा में,**

1. **सभी डाक सर्कलों के अध्यक्ष।**
2. **निदेशक, समस्त डाक प्रशिक्षण केंद्र।**
3. **निदेशक, डाक अकादमी।**
4. **मुख्य महा प्रबन्धक, डाक जीवन बीमा निदेशालय, नई दिल्ली।**
5. **महाप्रबन्धक, सी ई पी टी, मैसूर को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को डाक विभाग की वैबसाइट पर अवश्य अपलोड करा दें और हिन्दी दिवस सहित हिन्दी पखवाड़े का आयोजन करें।**
6. **मुख्य महा प्रबन्धक, व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय, डाक भवन, नई दिल्ली।**

**महोदय/महोदया,**

**विषय- 14 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के अवसर पर डाक विभाग, मुख्यालय के अधीनस्थ सभी डाक सर्कल कार्यालयों आदि में संयुक्त सचिव (राजभाषा) महोदया का संदेश परिचालित करने के संबंध में।**

सरकारी कामकाज़ में राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के प्रयोजन से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिन्दी दिवस/ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी डाक सर्कल कार्यालयों सहित अन्य संबंधित कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालयों में भी राष्ट्रीय हिन्दी दिवस/ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़े का आयोजन अनिवार्य रूप से करें। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के नियमानुसार सभी सरकारी कार्यालयों को हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाना अपेक्षित है।

2. सर्वविदित है कि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने हेतु तथा हिन्दी की प्रत्येक क्षेत्र में व्यापकता को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

3. संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने अपने संदेश में कहा है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय प्रमुखों की यह जिम्मेदारी है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963, संगत नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसके अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी में काम करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित किया जाए और सभी अधीनस्थ कार्मिकों को मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जाए।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत हिंदी दिवस के अवसर पर संयुक्त सचिव (राजभाषा) के संदेश की प्रति डाक विभाग, मुख्यालय के अधीनस्थ सभी डाक सर्कल कार्यालयों सहित अन्य संबंधित कार्यालयों को इस उद्देश्य के साथ परिचालित की जा रही है कि सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारी राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। राजभाषा हिन्दी आपकी अपनी भाषा है इसमें एक बार कार्य करके देखें आपको गौरव की अनुभूति होगी।

सुनीता

(सुनीता सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)

-------

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 12011/09/2020-रा.भा./कार्या.-2 — दिनांक: 18 अगस्त, 2020

प्रिय श्री अब्दाली,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई ।

संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया गया था इसलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघ की राजभाषा होने के कारण हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गए हैं।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय प्रमुखों का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963, संगत नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित होने के कारण आपसे यह अनुरोध है कि एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने का प्रयास करें और सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करें।

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है जिसमें निरीक्षण के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कार्यान्वयन संबंधी आंकडे अत्यंत महत्वपूर्ण और तथ्यपरक होते हैं, अत: इस पर ध्यान देना आवश्यक है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किए जाने के कारण सभी का यह दायित्व बनता है कि वह राजकीय कार्यों में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें। आइये, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर संविधान द्वारा सौंपे गए दायित्व को पूर्ण करने की शपथ लें।

हिंदी दिवस की पुन: बधाई ! शुभ कामनाओं सहित,

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

उप महानिदेशक (भवन एवं सामग्री प्रबन्धन)
DDG(Estates & MM) 21
डा. सं./Dy. No.
दिनांक/Date 05/09/2020

श्री मुज्जफर उदिन अब्दाली
उप महानिदेशक
डाक विभाग, डाक भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-1